संख्या— शा0सं0 95/14—2—2016—800 (52)/2016

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी,
उ0प्र0,लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग—2

लखनऊ, दिनांक 12 मई, 2016

विषय— बिजनौर में बिजनौर—नूरपुर मार्ग किमी0 6 की दायीं पटरी पर ग्राम—महगाली के खसरा नं0—524, 527, 528 व 534 में मै0 लीला फार्म हाउस द्वारा विकसित किये जा रहे बैंक्वट हाल के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.0465 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 02 वृक्षों के पातन की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या—8बी/06/33/2016/एफसी/60, दिनांक 28—4—2016 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कुल 14 बिन्दुओं पर की गयी आपत्तियों के का निस्तारण कर संशोधित प्रस्ताव प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2— इस सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र दिनांक 28—4—2016 के माध्यम से वापस किये विषयगत प्रस्ताव प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा लगायी गयी 14 बिन्दुओं पर बिन्दुवार कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः— **प्रस्ताव 02प्रतियों में।**

भवदीय,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।